


६
रीडर

20/3/24

पत्रावली पेश हुई जायी अधिवक्ता उपस्थित
विपक्षी अधिवक्ता उपस्थित / प्रकरण का मूल बाद को
५ अदम हाजरी. अदम पैरवी में खारिज हो जाने से
इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः दम्तगत प्रार्थन पर आदेश १ निवेक ४ के तहत
अदम हाजरी. अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निवेक
स्वेरेडजलाल सुनाया गया प्रकरण कुलल सुमार हाउस
नम्बर से कम है।


(रिपक/वकील)
गिवा, उदयपुर

